

**कार्यालय,
राज्य प्रौद्योगिकी शिक्षा परिषद,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।**

लखनऊ दिनांक: 15-8-2020

संख्या- प्रौद्योगिकी शिक्षा परिषद/सम्बद्धता/2020/1871

--कार्यालय द्वारा--

राज्य प्रौद्योगिकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/राज्यीय कार्यालय उत्तर प्रदेश, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 14-08-2020 ई. को दिखाने वाले लखनऊ में सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने के पत्र को प्रौद्योगिकी शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश के लखनऊ में प्रेषित करने के दिनांक 14-8-2020 को प्रौद्योगिकी शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश की अध्यक्षता में परिषद कार्यालय में बैठक कागज हुई। बैठक में निर्णय लिया गया कि 2020-21 ई. को कार्यकारी नई लखनऊ को सम्बद्धता/पूर्व के लखनऊ संचालित करने के लिए सम्बद्धता प्रदान करने का निर्णय किया गया।

उक्त के अनुक्रम में सम्बद्धता राजकीय की बैठक के पत्र-1 में दिखाने इन कार्यकारी पदस्थान संचालित करने वाली पूर्व के सम्बद्धता/संचालित का प्रमाण प्राप्त गया। सम्बद्धता राजकीय द्वारा पत्र लिखकर-निर्णय का निर्णय किया गया।

- निजी क्षेत्र में स्थापित विद्योमा इन कार्यकारी पदस्थान संचालित करने वाली संस्थान, जो प्रौद्योगिकी शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ से पूर्व से सम्बद्ध हैं, एवं सत्र 2020-21 ई. को पौडीय/संचालित द्वारा उन्हें संचालित अनुमोदन विस्तार प्रदान किया गया है। इन संचालित से पौडीय/संचालित द्वारा प्रदान किये गये अनुमोदन विस्तार के अनुसार उनके नाम के सम्बद्ध अधिकृत पदस्थान/प्रवेश समता के साथ सत्र 2020-21 ई. को परिषद से सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने पर समिति द्वारा विचार-विमर्श किया गया एवं कार्यकारी से पौडीय/संचालित द्वारा प्रदत्त अनुमोदन विस्तार के अनुक्रम में सत्र 2020-21 ई. को परिषद से सम्बद्धता विस्तार दिने जाने का निर्णय किया गया।

दिनांक 14-08-2020 को प्राप्त सम्बद्धता राजकीय की बैठक में किये गये निर्णय निर्णय के अनुक्रम में पत्र प्रमाण को प्रौद्योगिकी शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा सत्र 2020-21 ई. को निर्णयित वाली के लखनऊ पदस्थान एवं लखनऊ प्रवेश समता ई. को सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है -

क्र. सं.	संस्था का नाम	संस्था का नाम	दिये जाने वाले अनुमोदन विस्तार	दिये जाने वाले अनुमोदन विस्तार
1.	राज्य प्रौद्योगिकी शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ	संचालित द्वारा संचालित	क	क

सम्बद्धता ई. को

- संस्था प्रौद्योगिकी शिक्षा परिषद/पौडीय/संचालित द्वारा निर्णयित की गयी वाली का पूर्ण प्रमाण प्रदान करें।
- संस्था प्रमाण प्रमाण प्रौद्योगिकी शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश का प्रौद्योगिकी शिक्षा परिषद निर्णयित वाली सम्बद्धता/संचालित द्वारा प्रदान किये गये अनुमोदन विस्तार एवं लखनऊ का अनुमोदन प्रदान करने के साथ पूर्ण प्रमाण प्रदान करने वाली द्वारा निर्णयित पूर्ण प्रमाण प्रदान करने वाली प्रदान करने के दिनांक 14-08-2020/- प्रेषित, जो परिषद कार्यकारी पदस्थान ई. को सम्बद्धता/संचालित एवं एक साथ ही परिषद पदस्थान को परिषद कार्यकारी पदस्थान के निर्णयित ई. को सम्बद्धता/संचालित द्वारा प्रदान किया गया।

[Signature]

कार्यालय

संघिय प्राविधिक शिक्षा परिषद

उत्तर प्रदेश लखनऊ

संख्या- प्राविधिक/परिषद/सम्बद्धता/2021/3637

लखनऊ दिनांक: 09/08/2021

कार्यालय भाषः

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली (जर्मनी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा सैक्रिक सत्र 2021-22 हेतु विधेयमा सारणी तकनीकी शिक्षण संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरान्त प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक- 08/08/2021 को परिषद कार्यालय में सम्बद्धता समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2021-22 हेतु आवेदित नई संस्थाओं को सम्बद्धता/ पूर्व से संघटित संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार/ पाठ्यक्रम/ प्रवेश क्षमता वृद्धि सहित अन्य मदी पर विचार करते हुए सत्र 2021-22 हेतु सम्बद्धता/ सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिख गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुसार वे निम्न संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा सत्र 2021-22 हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उसमें अखिल प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है:-

संस्था का कोड एवं नाम : 4871-ABHISHEK PHARMACY COLLEGE LOKMANYA NAGAR CHANDAULI

क्र.सं	पाठ्यक्रम का नाम	ए०आई०सी०टी०ई०/ पी०सी०आई० द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	DIPLOMA IN PHARMACY	60	60

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था ए०आई०सी०टी०ई०/पी०सी०आई० द्वारा निर्धारित की गयी सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एक्ट 1962 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमवली 1962, सेमेस्टर विनियमवली-2016 तथा अन्य निर्मित नियमों एवं आदेशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन वर्षीय इजी० पाठ्यक्रमों हेतु ₹० 30150.00/- प्रतिवर्ष, दो वर्षीय फार्मसी पाठ्यक्रम हेतु ₹०-45000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो वर्षीय पाठ्यक्रमों (दो वर्षीय फार्मसी पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु ₹०-22500.00/- प्रतिवर्ष शुल्क ही प्रत्येक छात्र/छात्रा से प्राप्त किया जाएगा। उपरोक्त के अतिरिक्त छात्र/छात्राओं से शुल्क के सम्बन्ध में समय-समय पर वास्तव द्वारा निर्मित किये जाने वाले वास्तविक प्रभावी होने और तदनुसार कल्पवृष्टी किया अन्य आवश्यक होगा। फीस निर्धारण समिति द्वारा यदि सत्र 2021-22 हेतु फीस का पुनर्निर्धारण किया जाता है, तो फीस की नवीनतम दर लागू होगी।
- ✓ संस्था को (उपरोक्त प्राविधिक शिक्षा समितियां तथा उप समितियां, संस्थाओं को सम्बद्ध किया जाना) विनियमवली-2000 की शर्तों का अनुपालन करना होगा।

- ✓ संस्था में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आवंटित छात्रों को ही प्रवेश दिया जायेगा। सीटों के रिक्त रह जाने की स्थिति में उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशानुसार ही प्रवेश की कार्यवाही की जायेगी।
- ✓ संस्था को समस्त-समय पर निर्गत कामकाजों के अनुसार निरीक्षण एवं सम्बद्धता सूचक जमा करना होगा।
- ✓ संस्था को ए०आई०सी०टी०ई०पी०सी०आई० से आगामी सत्र हेतु अनुमोदन प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश शासन द्वारा बनाये गये विधिनियमों, अधिनियमों, आदेशों, निर्देशों एवं निर्देशक, प्रादेशिक शिक्षा, उ०प्र०, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उ०प्र० तथा प्रादेशिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० द्वारा बनाये गये नियमों, विनियमों, आदेशों, निर्देशों का पालन करने के लिये बाध्य होगी।
- ✓ विद्यार्थियों इन फार्मों पर पाठ्यक्रम की संस्थाएं यदि पी.सी.आई. नई दिल्ली से अनुमोदन प्राप्त करने में असमर्थ रहती है तो इस संबंध में समस्त उत्तरदायित्व संस्था का होगा और विधिक रूप से किसी भी कार्यवाही के लिए संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी। प्रादेशिक शिक्षा परिषद, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, प्रादेशिक शिक्षा निर्देशालय एवं प्रादेशिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन को कोई कदम उठाना पड़ेगा तब तक के संबंध में न. न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की प्रतिपूर्ति संबंधी आदेश निर्गत किया जाता है तो समस्त प्रतिपूर्ति संबंधित संस्था को करनी होगी।
- ✓ विद्यार्थियों इन फार्मों पर पाठ्यक्रम संचालित करने वाली संस्थाओं को संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश उच्च शिक्षा द्वारा प्रत्येक वर्ष के लिए आवंटित प्रवेश परीक्षा हेतु काउन्सिलिंग प्रारंभ होने के पूर्व पी०सी०आई० से अनुमोदन प्राप्त कर परिषद कार्यालय को उपलब्ध करना होगा अन्यथा उन्हें प्रवेश की (काउन्सिलिंग के माध्यम से अथवा संस्था स्तर पर सीधे प्रवेश) अनुमति नहीं प्रदान की जायेगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवेश हेतु निर्गत नवीनतम आदेश नियमों का अनुपालन करना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट पर संस्था की समस्त सूचनाएं जैसे संस्था की ऐतिहासिक पृष्ठ भूमि, स्टाफ, साठ-साठ, उपकरण, प्राप्त किया जाने वाला सुलभ, छात्रवास सुलभ आदि का विवरण उपलब्ध करना होगा।
- ✓ संस्था को शिक्षण-प्रशिक्षण हेतु उपयुक्त बताना उपलब्ध करने के साथ शैक्षणिक लेखों के सम्बन्ध में समस्त आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था यह सुनिश्चित हो ले कि संस्था में प्रस्तावित/संचालित पाठ्यक्रम को चलाने हेतु निरीक्षण समिति के समक्ष उपलब्ध कराये गये अधिलेख, भूमि-भवन, फर्नीचर, उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य पाठ्यक्रम के संचालन में प्रयोग किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होती है कि संस्था उपरोक्त का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो उक्त संस्था की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की अनुमति की जायेगी।
- ✓ संस्था के स्वीकृत निरीक्षण दौरान यदि संस्था में भूमि, भवन, प्रयोगशाला, उपकरण एवं अन्य साठ-साठ ए०आई०सी०टी०ई०पी०सी०आई० परिषद के मानकानुसार उपलब्ध नहीं पाया जाता है तो संस्था की सम्बद्धता समाप्त कर दी जायेगी।
- ✓ सम्बद्धता शर्तों का अनुपालन न किये जाने अथवा शर्तों का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

(मुनील कुमार सोनकर)

सचिव

दिनांक: 09/08/2021

ए०आई०सी०टी०ई०पी०सी०आई० परिषद सम्बद्धता/2021/3538-4309

प्रतिरिति-

प्रधानाचार्य/निदेशक ABHISHEK PHARMACY COLLEGE LOKMANYA NAGAR CHANDAULI

